– निर्णय –

फार्म–ए

UPUN010040452024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

उपस्थित– अनिल कुमार वर्मा–प्रथम, (एच.जे.एस.)जेओ यूपी 06552

(निर्णय तिथि – 19.06.2026)

सत्र परीक्षण संख्या – 1179/2024
मुकदमा अपराध संख्या – 1004/2006,
धारा–302,201 भा0दं0सं0
थाना – गंगाघाट जनपद – उन्नाव।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	लोक अभियोजक
अभियुक्त	संजय पुत्र होशराम निवासी– ग्राम सलीन्द थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव।
द्वारा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	श्री रमेशचन्द्र वर्मा एडवोकेट

फार्म–बी

अपराध की तिथि	15.12.2006 से 20.12.2006 के मध्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	23.12.2006
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने की तिथि	27.06.2007
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	08.07.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	17.01.2025
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	1606.2026
निर्णय की तिथि	19.06.2026

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.19 16:52:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0प्र0सं0 के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01	संजय	02.06.24	लगातार जेल में निरूद्ध	धारा–302,201 भा0दं0सं0	धारा–302,201 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त	–	–

फार्म–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0–1	दुर्गाप्रसाद	वादी मुकदमा / तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–2	प्रेमादेवी	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	आशीष चौधरी	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–4	राजू	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–5	सेवा निवृत हे0कां0 शिवपाल	औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–6	सेवानिवृत उप निरीक्षक सियाराम निमेष	औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–7	निरीक्षक ज्ञानेश्वर यादव	विवेचक

बी. प्रतिरक्षा साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

सी. न्यायालय साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन प्रपत्र/प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
01	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1	तहरीर
02	प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3,	पी0डब्लू0–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी0डी0 कायमी
03	प्रदर्श क–4,5,6,7 एवं 8	पी0डब्लू0–6	पंचायतनामा, फोटो लाश, चालान लाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0,चिट्ठी आर.आई,
04	पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–7	आरोपपत्र

बी. प्रतिरक्षा प्रपत्र/प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
कोई नहीं			

सी. न्यायालय प्रपत्र/प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
कोई नहीं			

डी. वस्तु प्रदर्श–

क्रम सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
		कोई नहीं	

1. प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0–1004/2006 की विवेचना के उपरान्त थाना–गंगाघाट,जिला उन्नाव द्वारा अभियुक्त संजय के विरूद्ध अंतर्गत धारा–302,201 भा0दं0सं0 मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव में प्रेषित किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा आदेश दिनांक 02.06.2024 द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथन है कि वादी मुकदमा दुर्गा प्रसाद साहू पुत्र दुलारे, निवासी 5/118, पुराना कानपुर थाना कोहना, कानपुर ने थाना प्रभारी गंगाघाट को दिनांक 23.12.2006 को इस आशय की तहरीर दी कि उसके मकान में रमाशंकर पुत्र रामेश्वर कुरील ग्राम दरौली थाना सफीपुर उन्नाव सपरिवार किराये पर रहता था। घ टना से डेढ़ माह पहले रमाशंकर की पत्नी संगीता का चाल–चलन ठीक न होने के कारण वादी ने अभियुक्त रमाशंकर से मकान खाली करा लिया था, इसके बाद यह लोग आजाद नगर थाना गंगाघाट उन्नाव में किराये पर रहने लगे। मकान खाली कराने के कारण रमाशंकर व उसका परिवार वादी से अन्दरूनी रंजिश मानने लगे। दिनांक 15.12.2006 को संजय पुत्र होशराम ग्राम सलीन्द थाना सफीपुर जो रमाशंकर का साला है तथा रामबाबू जो संगीता की बुआ की लड़की का नाती है, दिन के करीब 11 बजे वादी के घर आये और उसके लड़के सुशील को रेडीमेड कपड़े का धन्धा कराने का बहाना करके लिवा ले गये, जिसको ले जाते हुए वादी के मोहल्ले के सुधीर व राजू ने देखा। जाते समय वादी ने लड़के सुशील से कहा कि वह दिल्ली पंहुचने पर रोज फोन द्वारा सूचना देना, परन्तु दो–तीन दिन बीत जाने के बाद जब सूचना नहीं आयी तो वादी को शक हुआ और लड़के का पता लगाया, लेकिन पता नहीं चला। दिनांक 20.12.2006 को जब वादी व अन्य लोग ग्राम आजाद नगर थाना गंगाघाट उन्नाव आकर पता लगाया तो पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश सोख्ता आश्रम के तालाब में पुलिस द्वारा बरामद की गयी है। इस सूचना पर वादी व उसके अन्य साथी पोस्टमार्टम हाउस उन्नाव आये और वहाँ लाश को देखकर पहचाना और वादी को यह विश्वास हो गया कि मकान खाली कराने की रंजिश को लेकर सुशील की हत्या रमाशंकर, संजय, रामबाबू व संगीता ने कर दिया है और लाश छिपाने के लिए तालाब में फेंक दिया।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–1004/2007 अंतर्गत धारा–302,201 भा0द0सं0 में अभियुक्त रमाशंकर, संजय, रामबाबू व संगीता के विरूद्ध दर्ज की गयी।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत

धारा–161 दं0प्र0सं0 दर्ज किये, घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया। मृतक के शव का पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र तैयार कर शव विच्छेदन कराया गया। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण रमाशंकर, रामबाबू व संगीता के विरूद्ध धारा–302,201 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त संजय के विरूद्ध फरारी में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त संजय के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली प्रथक की गयी। अभियुक्त दिनांक 02. 06.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जेल से उपस्थित आया। उसे न्यायालय द्वारा धारा–207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी। प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा दिनांक 06.06.2024 को प्रकरण सत्र न्यायालय विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

5. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना की। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08.07.2024 को अभियुक्त संजय के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–302,201 भा0दं0सं0 विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी0डब्लू0–1 दुर्गाप्रसाद (वादी), पी0डब्लू0–2 प्रेमा देवी (गवाह), पी0डब्लू0–3 आशीष चौधरी(गवाह), पी0डब्लू0–4 राजू, पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत हे0कां0 शिवपाल, पी0डब्लू0–6 रिटायर्ड निरीक्षक सियाराम निमेष, पी0डब्लू0–7 निरीक्षक ज्ञानेश्वर यादव को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नकल जी0डी0 प्रदर्श क–3, पंचायतनामा प्रदर्श क–4, फोटो लाश प्रदर्श क–5, चालान लाश प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–7 एवं चिट्ठी आर.आई. प्रदर्श क–8 प्रस्तुत किये गये हैं।

7. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 21.05.2026 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा पी0डब्लू0–1 लगायत 4 द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में

गलत बयान देना बताया, पी0डब्लू0—5 लगायत 7 के बारे में जानकारी न होने का कथन किया है। यह भी कहा है कि वह निर्दोष है। उसे इस मुकदमा की जानकारी नहीं है। सफाई साक्ष्य देने का कथन नहीं किया है।

8. अभियुक्त के लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

9. पी0डब्लू0 1 दुर्गा प्रसाद वादी मुकदमा ने सशपथ कथन किया है कि वह अभियुक्त रमाशंकर व संजय को जानता है। संजय अभियुक्त रमाशंकर का साला है जो ग्राम सलीन्द थाना सफीपुर का है। हाजिर अदालत अभियुक्त संजय को देखकर साक्षी ने संजय की पहचान की। रमाशंकर उसके घर में करीब 5—6 माह किरायेदार रहे है। वह रमाशंकर की पत्नी संगीता के चाल चलन से संतुष्ट नहीं था। इसलिए उनसे घटना के डेढ़ माह पूर्व मकान खाली करा लिया था। इसीलिए इनका परिवार उससे रंजिश मानने लगा था। दिनांक 15.12.2006 को संजय, रामबाबू, आये थे और उसके लड़के सुशील को रेडीमेड कपड़ों का धन्धा कराने के बहाने दिन में करीब 11.00 बजे घर से दिल्ली खरीददारी करने की बात बता कर लिवा ले गये थे। उस समय घर में वह,उसकी पत्नी प्रेमवती व बच्चे घर में मौजूद थे। सुशील, रामबाबू व संजय को जाते हुए पड़ोस के सुदीप व राजू आदि ने भी देखा था। जाते समय उसने सुशील से कहा था कि दिल्ली पहॅुचकर फोन कर देना दो तीन दिन फोन न आने पर मुझे चिन्ता होने लगी और वह इधर उधर पता लगाने लगा,तब दिनांक 20.12.2006 को पता चला कि सोख्ता आश्रम के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस द्वारा पी0एम0 हेतु भेजी गयी है। उसने दि0 21.12.2006 को पोस्टमार्टम हाउस में जाकर अज्ञात लाश को देखा तो वह उसके लड़के सुशील की ही थी। लाश देखकर उसे बहुत मानसिक आघात लगा ओर वह अस्वस्थ हो गया। कुछ स्वस्थ होने पर दिनांक 23.12.2006 के लाश की पहचान की थी। लाश देखकर उसे मानसिक आघात लगा और अस्वस्थ हो गया। कुछ स्वस्थ्य होने पर दि0 23.12.2006 को एक व्यक्ति से घटनाक्रम बता कर तहरीर लिखवायी। तहरीर में उसने यह भी लिखवाया था कि अज्ञात लाश उसके पुत्रसुशील की है ओर घर से किरायेदारी खाली कराने के कारण रमाशंकर, संजय व रामबाबू, रमाशंकर की पत्नी संगीता ने सुशील की हत्या कर दी

और लाश छिपाने के लिए तालाब में फेंक दी थी। यह तहरीर उसने दिनांक 23.05.2006 को थाने में दी थी। मूल तहरीर एस0टी0 नं0 216/2007 राज्य बनाम रमाशंकर आदि में है। इस साक्षी ने मूल तहरीर को देखकर इस पत्रावली में संलग्न छाया प्रति होने की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। दरोगा जी ने उससे पूछतांछ की थी।

10. पी0डब्लू0 2 प्रेमा देवी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आरोपी रमाशंकर उसके मकान में किराये पर रहे थे। इनकी पत्नी कम उम्र की थी। उसका नाम संगीता था। संगीता के आदमी की उम्र ज्यादा थी। इसलिए आपस में दोनों का विवाद होता रहता था तो उसने कई बार समझाया भी था। अभियुक्त संजय, रमाशंकर का साला है। यह भी रमाशंकर के साथ महीनों रूका करता था। एक रिश्तेदार इनका रामबाबू था। वह भी आता जाता था। घटना दिनांक 15.12.2006 की है। जब उसके लड़के सुशील को व्यापार रेडीमेड का करने हेतु रामबाबू और संजय उसके घर लेने आये थे और समय करीब 11/12 बजे उसके लड़के सुशील को लिवा ले गये थे। उस समय उसके घर पर उसके पति व वह व उसकी लड़की सोनी मौजूद थी। सुशील से जाते समय उसने व उसके पति ने कहा था कि दिल्ली पहुॅचकर फोन करना। उसने रमाशंकर से डेढ़ माह पहले मकान खाली कराया था। उसे नहीं पता था कि मकान को खाली कराने को लेकर यह लोग रंजिश मानेगें। मकान खाली कराने की वजह यह थी कि रमाशंकर की पत्नी संगीता का चाल–चलन खराब था। दो–तीन दिन तक जब लड़के का फोन नहीं आया तो हम लोग पता करने लगे फिर 5–6 दिन बाद पता चला कि सोख्ता आश्रम के पास एक लाश लावारिस बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेजी है। उसके पति व उसने व अन्य लोगों ने पी0एम0 हाउस में लाश को जाकर देखा तो लाश उसके लड़के सुशील की थी। फिर उसने व उसके परिवार के लोगों ने रमाशंकर जहॉ किराये पर रहते थे, वहॉ जाकर रमाशंकर व संजय आदि से जानकारी करनी चाही तो वहॉ पर इन लोगों के कमरे में ताला बन्द था और यह लोग भागे हुए थे जिस कारण सन्देह हुआ कि रमाशंकर, संगीता, रामबाबू व संजय ने उसके लड़के की हत्या कर दी है।

11. पी0डब्लू0 3 आशीष चौधरी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके घर के बगल में दुर्गाप्रसाद साहू का मकान है। इस घटना से पहले दुर्गाशंकर साहू के मकान

में रमाशंकर अपनी पत्नी व बच्चों केसाथ किराये पर रहत थे। रमाशंकर की पत्नी का नाम संगीता है। रमाशंकर के साले संजय और एक अन्य रिश्तेदार रामबाबू, रमाशंकर के घर आते जाते थे। जिनको उसने देखा सुना और पहचानता है। संगीता का चाल–चलन ठीक नहीं था, इसलिए दुर्गा प्रसाद साहू ने घटना से एक–डेढ़ महीने पहले रमाशंकर से घर खाली करा लिया था जिससे रमाशंकर, दुर्गाप्रसाद और उनके परिजनों से रंजिश मानते थे। घटना वर्ष 2006 की जाड़े के दिनों की व दीपावली के बाद की है। दिन के लगभग 11–12 बजे सुशील लाल कलर का बैग लटकाये हुए घर से निकले। सुशील के साथ रमाशंकर और संजय भी थे। उसने सुशील से पूछा कहां जा रहे हो तो सुशील ने उसे बताया कि वह रमाशंकर व संजय के साथ दिल्ली काम करने जा रहा है और तीनों लोग चले गये। उसके बाद सुशील के बाबत कोई जानकारी नहीं हुई। उसने उपरोक्त बातें सुशील के पिता दुर्गा प्रसाद साहू को बतायी थी। चार–पांच दिन बाद सुशील का शव धोबिन पुलिया पानी में मिला। जानकारी मिलने पर वह भी मृतक सुशील के परिजनो के साथ शव देखने गया था। बाद में उसे पता चला कि सुशील के अवैध सम्बन्ध रमाशंकर की पत्नी संगीता के साथ थे, इसी रंजिश में रमाशंकर, संगीता, संजय और रामबाबू ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी।

12. पी0डब्लू0 4 राजू ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके घर के सामने सुशील का मकान है। उनके मकान में रमाशंकर अपनी पत्नी के साथ किराये पर रहते थे। रमाशंकर का साला संजय और एक अन्य रिश्तेदार रामबाबू रमाशंकर के घर में आते जाते थे और रूकते थे। इस लिए वह सबको जानता है। रमाशंकर की पत्नी संगीता का चाल–चलन ठीक नहीं था। इसलिए रमाशंकर व उसकी पत्नी संगीता के बीच झगड़ा होता था। दुर्गा प्रसाद ने इस घटना से एक डेढ़ माह पूर्व रमाशंकर से घर खाली करा लिया था, जिस कारण रमाशंकर दुर्गा प्रसाद से रंजिश मानने लगे थे। घटना दि0 15.12.2006 की है। वह उस दिन काम पर नहीं गया था। दिन में ग्यारह–बारह बजे जब वह अपने घर से निकला तो देखा कि दुर्गाप्रसाद का लड़का सुशील लाल रंग का बैग लेकर कहीं जाने के लिए निकला, सुशील के साथ संजय व रामबाबू भी थे। उसने सुशील से पूछा कहॉ जा रहे तो सुशील ने कहा कि वह दिल्ली काम करने संजय व रामबाबू के साथ जा रहा है। उसने सुशील से हाथ

मिलाया था। फिर सुशील संजय व रामबाबू के साथ चला गया था। दुर्गा प्रसाद की जब सुशील से एक–दो दिन बातचीत नहीं हो पायी, तब दुर्गा प्रसाद को उसने बताया था कि सुशील, संजय व रामबाबू के साथ दिन में 12.00 बजे दिनांक 15.12.2006 को दिल्ली काम करने के लिए जाते उसने देखा था। सुशील से बातचीत की थी। चार–पांच दिन बाद धोबिन पुलिया के पास सुशील का शव मिला। वह भी सुशील के परिजनों के साथ शव को देखने गया था। सुशील के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के कारण परिजनो ने दाह–संस्कार किया था। सुशील की हत्या संजय, रामबाबू, संगीता व रमाशंकर ने मिलकर रंजिशवश कर दी है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

13. पी0डब्लू0 5 सेवानिवृत हे0 कां0 शिवपाल ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 23.12.2006 को थाना गंगाघाट में का0 मो0 के पद पर तैनात था। उसी दिन दुर्गाप्रसाद साहू की तहरीर के आधार पर मुकदमा अ0सं0 1004/2006 अंतर्गत धारा 302,201 भा0दं0सं0 की उसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी थी, जो इस पत्रावली में छाया प्रति संलग्न है जिसकी मूल प्रति एसटी नं0 216/2007 राज्य बनाम रमाशंकर आदि में संलग्न है जिससे मिलान कर साक्षी द्वारा छाया प्रति को प्रमाणित व पुष्ट किया गया और कहा कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा जी0डी0 कायमी सं0 24 की छाया प्रति संलग्न है जिसकी प्रमाणित प्रति मूल एस.टी. नं0 216/2007 में प्रदर्श क–4 है जिससे मिलान कर साक्षी ने जी0डी0 को प्रमाणित व पुष्ट किया है और कहा कि वही जी0डी0 की प्रति है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. पी0डब्लू0 6 रिटायर्ड निरीक्षक सियाराम निमेश ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.12.2006 को वह थाना गंगाघाट में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा पर मृतक अज्ञात पुरूष के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। वह हमराही आर आरक्षीगण यशवीर सिंह, राकेश पाण्डेय के थाना हाजा से जिल्द पंचनामा व अन्य दीगर कागजात लेकर समय 13.30 बजे जी.डी. पर आमद भरकर रवाना होकर समय 13.30 बजे पहुॅचा। सोख्ता आश्रम के पास भरे पानी में एक शव उल्टा पड़ा हुआ था। मौके पर काफी भीड़ थी। शव को पानी से निकाल कर उपस्थिति लोगों में से

रामनरायन यादव, मनोज, रमेशचन्द्र साहू, राजकुमार चतुर्वेदी और नरेन्द्र सिंह को पंचान नियुक्त कर उसके द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 20.12.2007 को 14 बजे से 16 बजे तक की गयी। मृतक के शरीर पर बायी आंख, सिर, कान, लिंग व अन्य जगहों पर काफी चोटें थी। उसकी राय पंचानगणों की राय से मेल खाते हुए कि मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करा लिया जाये। शव को एक कपड़े में रख कर मौके पर ही सर्व सील मोहर किया गया। पंचायतनामा व अन्य पुलिस प्रपत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में मौके पर ही तैयार किये गये। पंचायतनामा पंचानगणों को पढ़ा कर सुना कर अलामात बनवाये गये। पंचायतनामा व अन्य पुलिस प्रपत्र व शव को आरक्षी राकेश पाण्डेय और यशवीर सिंह को सुपुर्द करवास्ते पोस्टमार्टम हाउस रवाना किया गया। पंचायतनामा पत्रावली में शामिल है, जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर में पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। फोटो लाश, चालान लाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, चिट्ठी आर0आई0 को इस साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–5 लगायत क–8 डाला गया।

15. पी0डब्लू0 7 निरीक्षक ज्ञानेश्वर यादव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस साक्षी का कथन है कि दिनांक 07.02.2007 को वह थानाध्यक्ष थाना गंगाघाट के पद पर था। इस दिन उसने मु0 अ0 सं0 1004/2006 धारा 302,201 भा0दं0सं0 की विवेचना पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण के उपरान्त ग्रहण की थी। दिनांक 09.07.2007 को पर्चा संख्या 8 किता किया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया। दिनांक 11.02.2007 को पर्चा सं0 9 किता किया जिसमें थाना सफीपुर क्षेत्र जाकर अभियुक्तों की तलाश की गयी, लेकिन नहीं मिले। दिनांक 20.02. 2007 को पर्चा संख्या 11 किता किया जिसमें अभियुक्त रमाशंकर का बयान अंकित किया। दिनांक 21.02.2007 को पर्चा सं0 12 किता किया जिसमें अभियुक्त रामबाबू को गिरफ्तार कर उसके बयान अंकित किये। दिनांक 02.03.2007 को पर्चा संख्या 15 किता किया जिसमें अभियुक्त संजय के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट न्यायालय से प्राप्त किया। दिनांक 15.03.2007 को पर्चा संख्या 21 किता किया, जिसमें साक्षियों के बयान अंकित किये। दिनांक 19.03.2007 को पर्चा संख्या 22 किता किया, जिसमें अभियुक्त संजय के विरूद्ध जारी धारा 83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा धारा 83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही करने वाले एच.सी.पी. नंदलाल सिंह के बयान

अंकित किये। तमामी विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण रमाशंकर, रामबाबू व श्रीमती संगीता तथा फरार अभियुक्त संजय के विरूद्ध जुर्म धारा 302,201 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपपत्र पत्रावली में संलग्न है जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है जो पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–6 है।

16. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि दिनांक 15.12.2006 को लगभग 11 बजे अभियुक्त संजय व सहअभियुक्त रामबाबू एक साथ मिल कर मृतक सुशील को रेडीमेड कपड़ों का धन्धा कराने के बहाने दिन में करीब 11.00 बजे घर से दिल्ली खरीददारी करने की बात बता कर लिवा ले गये थे। उनको ले जाते हुए वादी मुकदमा व उसकी पत्नी प्रेमा देवी तथा पड़ोस के सुदीप व राजू आदि ने भी देखा था। जाते समय मृतक सुशील से वादी ने कहा था कि दिल्ली पहुॅचकर फोन कर देना, दो तीन दिन फोन न आने पर वादी ने इधर उधर पता लगाया, वादी को दिनांक 20.12.2006 को पता चला कि सोख्ता आश्रम के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस द्वारा पी0एम0 हेतु भेजी गयी है। वादी ने पोस्टपार्टम हाउस जाकर लड़के सुशील के शव की पहचान की। वादी के मकान में अभियुक्तगण किराये पर रह रहे थे। रमाशंकर की पत्नी का चाल चलन ठीक न होने के कारण घटना से डेढ़ माह पूर्व वादी ने मकान खाली करा लिया था। इसी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने वादी के पुत्र सुशील की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के आशय से उसकी लाश को पोख्ता आश्रम के तालाब में फेंक दिया। घटना को किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से जुड़ती है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध होने योग्य है।

17. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त संजय सहअभियुक्त रामबाबू के साथ वादी के घर मृतक को दिल्ली में रेडीमेड कपड़े का काम कराने के बहाने लिवाकर नहीं ले गया था। अभियुक्त संजय द्वारा मृतक को दिनांक 15.12.2007 को 11 बजे दिन लिवाकर बताया है और उसकी लाश दिनांक 20.12.2007 को बरामद होना बताया है, परन्तु वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.12.2007 को तीन दिन बाद राय मशविरा के आधार पर विलम्ब से अंकित करायी गयी है। यदि अभियुक्त संजय व सहअभियुक्त रामबाबू द्वारा मृतक सुशील को ले जाते हुए वादी व उसकी

पत्नी के सामने ले लिवा कर ले जाते हुए देखा होता तो जिस दिन लाश मिली थी, उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण को नामित करते हुए लिखाना चाहिए था। इसलिए अभियुक्त संजय व सहअभियुक्त रामबाबू द्वारा मृतक को घर से लिवा जाने बात संदिग्ध प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा पोस्टपार्टम करने के दिनांक 21.12.2007 से 3 दिन पूर्व मृत्यु होना बताया है और अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.12.2007 को मृतक को घर ले जाना बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की हत्या दिनांक 15.12.2007 को कम समय के अंतराल में होना नहीं बताया है उसकी हत्या दिनांक 19.12.2007 को हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 दिन के बाद मृतक की हत्या हुई है जो बहुत बड़ा अंतराल है। सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कोई कड़ी श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं जुड़ रही है। यह भी कथन किया है कि सहअभियुक्तगण रमाशंकर, श्रीमती संगीता एवं रामबाबू को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 216/2007 राज्य बनाम रमाशंकर आदि में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2008 के द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

18. उक्त तर्को के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

19. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 15.12.2006 को वादी मुकदमा दुर्गा प्रसाद का लड़का मृतक सुशील, संजय व रामबाबू के साथ अपने घर से जाता है। दिनांक 20.12.2006 को वादी व वादी के साथ अन्य लोग पोस्टमार्टम हाउस जाकर मृतक के लाश की पहचान करते है और यह जान जाते है कि मृतक की हत्या हो गयी है, इसके बावजूद भी वादी द्वारा तीन दिन बाद रिपोर्ट दिनांक 23.12.2006 को थाने में 12.30 बजे अंकित करायी जाती है। इस प्रकार रिपोर्ट अंकित कराये जाने में लगभग 3 दिन का विलम्ब जानकारी के बाद से है, यह तथ्य लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 व चिक प्रथम सूचना रिपार्ट प्रदर्श क 2 से स्पष्ट है। पी0डब्लू0–1 वादी दुर्गा प्रसाद ने अपने सपथ बयान में यह बताया है कि अपने लड़के सुशील की लाश देखकर उसे बहुत मानसिक आघात

लगा और वह अस्वस्थ हो गया, कुछ स्वस्थ होने पर दिनांक 23.12.2006 को एक व्यक्ति से तहरीर लिखवायी थी। यह बात वादी जानबूझकर अस्वस्थ होने की बता रहा है, जब कि सत्र परीक्षण सं0 216/2007 में हुए बयान में अस्वस्थ होने की बात नहीं बतायी थी और न ही 3 दिन विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया था। इसके अतिरिक्त तहरीर प्रदर्श क–1 में भी विलम्ब का कोई स्पष्ट नहीं दिया गया है। लाश मिलने के 3 दिन बाद थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी है, इस 3 दिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण वादी ने कहीं भी नहीं दिया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 में वादी ने यह भी बयान दिया है कि "मैने रिपोर्ट थाने के बाहर बैठे व्यक्ति से लिखवाई थी, वह वकील थे या नहीं मुझे नहीं पता है। मुझे अब इतना ध्यान नहीं है कि पहले वाले मुकदमें में मैंने यह बयान दिया था कि रिपोर्ट वकील से लिखवाई थी। वह बयान मैंने सही दिया था। इस तरह वादी के इस बयान से वह स्पष्ट है कि रिपोर्ट इस केस में विलम्ब से और वकील के राय–मशविरे से लिखायी गयी थी। रोशन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य दाण्डिक अपील संख्या 754/80 दिनांक 09.04.86 में अवधारित किया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट सलाह मशविरा करके लिखाई जाती है तो वह संदिग्ध हो जाती है, तो अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाने के कारण उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि वह संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हो जाता है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा से सोच विचार कर अभियुक्तगण को फंसाने के लिए लिखाई गयी है।

42 उपरोक्त साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त को मृतक सुशील की हत्या करते हुए नहीं देखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

20. नजीर **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव एआईआर 1992 एस. सी. 840** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि *परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण करते समय न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और दोषसिद्ध केवल तब स्थापित करनी चाहिए, जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्णतः निर्मित हो जाए और अभियुक्त की दोषसिद्धता दर्शित करें। यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दो निष्कर्ष निकलना सम्भव है। तब अभियुक्त के पक्ष वाला निष्कर्ष देना चाहिए।*

21. नजीर **हरियाणा राज्य बनाम जगबीर सिंह आदि 2004 एसएससी (क्रिमि0) 1126** *में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त को सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है, जब सभी तथ्य एवं परिस्थितियॉ अभियुक्त को ही दोषी इंगित करती हों। साबित परिस्थितियॉ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से ही संगत और पूर्ण रूप से उसकी निर्दोषिता से असंगत होनी चाहिए। सभी परिस्थितियॉ युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।*

22. नजीर **बोधराज बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एआईआर 2002 सुप्रीम कोर्ट,3164** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति होनी चाहिएः–

(1) वे परिस्थितियॉ जिनके आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए।

(2) साबित की गयी परिस्थितियॉ अभियुक्त की दोषसिद्धि से सुसंगत होनी चाहिए और उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए।

(3) ऐसी परिस्थितियॉ अन्य सभी सम्भावनाओं को समाप्त करती हो और केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि को स्थापित करती हो।

(4) परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार कड़ीबद्ध होनी चाहिए, जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता नहीं, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में उसकी अपराध में संलिप्तता इस रूप में स्थापित हो कि केवल अभियुक्त द्वारा ही अपराध कारित किया गया है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था में यह उल्लिखित है कि– In the case of **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharastra, (1984) 4 SCC 116** , it was held that;

> *A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:*
>
> *(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.*
>
> *It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and 'must be or should*

be proved' as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade & Anr. v. State of Maharashtra(') where the following observations were made:

"Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance

between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say. they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

In the case of **Yusuf v. State of West Bengal AIR 2011 SC 2283,** it was held that;

Undoubtedly, conviction can be based solely on circumstantial evidence. However, the court must bear in mind while deciding the case involving the commission of serious offence based on circumstantial evidence that the prosecution case must stand or fall on its own legs and cannot derive any strength from the weakness of the defence case. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency. There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the

innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

24. उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में इस प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

प्रथम परिस्थिति यह है कि क्या दिनांक 20.12.2006 को सोख्ता आश्रम के पास मृतक सुशील की लाश पायी गयी जिसकी हत्या की गयी थी और लाश की पहचान वादी व अन्य द्वारा की गयी, इस सन्दर्भ में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने यह बताया है कि उसने जाते समय सुशील से दिल्ली पहुॅच कर फोन करने की बात कही थी, परन्तु तीन दिन फोन न आने पर उसे चिन्ता हुई और इधर उधर पता लगाने लगा, तब दिनांक 20.12.2006 को पता चला कि सोख्ता आश्रम के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस द्वारा पीएम हेतु भेजी गयी है, तब वह दिनांक 21.12.2006 को पोस्टमार्टम हाउस में जाकर अज्ञात लाश को देखा तो वह उसके लड़के सुशील की थी। इस प्रकार वादी पी0डब्लू0–1 साक्ष्य से यह साबित होता है कि सोख्ता आश्रम के पास जो लाश बरामद हुई, वह पहचान योग्य थी और मृतक सुशील की थी।

25. जहाँ तक मृतक की चोट पहुंचाकर हत्या किये जाने का प्रश्न है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर दो मृत्यु पूर्व चोट पायी है, चोट नं0 1 कटे हुए घाव की है और मृतक की मृत्यु रक्तस्राव व सदमें के कारण हुई जो मृत्यू पूर्व चोटो का परिणाम थी। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 2 से स्पष्ट है कि मृतक को चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गयी।

26. अगली परिस्थिति अभियोजन पक्ष की ओर से यह रखी गयी है कि दिनांक 15.12.2006 को अभियुक्त संजय व रामबाबू वादी के घर आये थे और दिल्ली में रेडीमेड का काम करने के बहाने बुलाकर मृतक सुशील को ले गये, इस तथ्य को पी0डब्लू0 1 ने साबित किया है। पी0डब्लू0–1 ने यह कहा है कि जिस समय सुशील को दोनों मुल्जिमान लिवा कर गये, उस समय घर पर वह उसकी पत्नी तथा गवाह राजू व सुदीप चौधरी थे। पी0डब्लू0–1 ने जिरह के पृष्ठ 5 पर यह भी कहा कि उसका रिहायशी मकान अलग है और किरायेदारी वाला मकान अलग है। वह किरायेदार के घर नहीं आता जाता था और न ही उसके बच्चे आते जाते थे। जब उसने रमाशंकर से मकान खाली करने का कहा था तो उन्होंने मकान खाली कर दिया था,

जब रमाशंकर से मकान खाली कराया था तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अभियुक्तगण उसका पहले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पी0डब्लू 2 ने यह बताया है कि संजय व रमाशंकर आदि सड़क के पार वाले उसके मकान में रहते थे। उसके बेटे मृतक सुशील को उसके घर से रामबाबू व संजय लिवा ले गये थे। उसने रमाशंकर से मकान इसलिए खाली कराया था कि पति–पत्नी बीच में झगड़ा होता था और उसके लड़के पर रमाशंकर शक करते थे। मकान खाली कराने में कोई विवाद नहीं हुआ था। अभियुक्त संजय, रमाशंकर का साला है और उसको वादी के घर आना जाना बताया जाता है इसलिए वह उसको पहचानते थे। न्यायालय का मत है कि वादी व अन्य गवाहो द्वारा अभियुक्त संजय को पहचानना संदिग्ध है, क्योंकि पी0डब्लू0–1 ने कहा कि उसका रिहायशी मकान अलग है और किरायेदारी वाला मकान अलग है। पी0डब्लू 2 प्रेमा देवी ने कहा है कि संजय व रमाशंकर आदि सड़क के पार वाले उसके मकान में रहते थे। ऐसी परिस्थिति में वादी व प्रेमा देवी द्वारा अभियुक्त संजय को पहले पहचानना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि किरायेदारी वाला मकान अलग था। इसलिए वह संजय को पहले जानता था, नहीं माना जा सकता। पी0डब्लू0–4 राजू ने कहा है कि दुर्गाप्रसाद के दो मकान है। रमाशंकर दुर्गाप्रसाद के दूसरे मकान में किराये पर रहते थे। वह पहले वाले मकान के सामने रहता था। संजय, रमाशंकर के साले थे। संजय और मृतक सुशील की कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी साक्षी ने जिरह के पृष्ठ 4 पर कहा है कि उसने रामबाबू व संजय के साथ दिनांक 15.12.2006 को जाते हुए देखा था, इसीलिए वह कहता है कि सुशील की हत्या रामबाबू आदि ने की होगी। उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि जिस किरायेदारी वाले मकान में अभियुक्त संजय आता जाता था, वह अलग मकान है। ऐसी स्थिति में तथ्य के साक्षियों द्वारा संजय को पहचानना और स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। इस विवेचना से यह परिस्थिति साबित नहीं होती की संजय व रामबाबू दिनांक 15.12.2006 को मृतक सुशील को उसके घर से ले गये और इस प्रकार इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी कथन किया है। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और मृतक व अभियुक्त संजय के मध्य कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही वादी व उसकी पत्नी से कोई रंजिश थी। इसलिए रंजिश वाली कड़ी मेल नहीं खाती है।

27. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में डाक्टर द्वारा पोस्टपार्टम करने के दिनांक 21.12.2007 से 3 दिन पूर्व मृत्यु होना बताया है और अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.12.2007 को मृतक को घर ले जाना बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की हत्या दिनांक 15.12.2007 को कम समय के अंतराल में होना नहीं बताया है, उसकी हत्या दिनांक 19.12.2007 को होना प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 दिन के बाद मृतक की हत्या हुई है जो बहुत बड़ा अंतराल है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा ही मृतक सुशील की हत्या की गयी हो और उसकी लाश तालाब में फेंक दी हो। इस प्रकार साक्षियों की साक्ष्य से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कोई कड़ी श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं जुड़ती है।

28. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों की साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 वादी दुर्गाप्रसाद ने तीन दिन बाद विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त संजय द्वारा मृतक को मारते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। न्यायालय में परीक्षित तथ्य के साक्षियों द्वारा घटना देखना नहीं बताया है। मामला परिस्थितिजन्य का पाया गया हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा पोस्टपार्टम करने के दिनांक 21.12.2007 से 3 दिन पूर्व मृत्यु होना बताया है और अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.12.2007 को मृतक को घर ले जाना बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की हत्या दिनांक 15.12.2007 को कम समय के अंतराल में नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या दिनांक 19.12.2007 के आसपास हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 दिन के बाद मृतक की हत्या हुई है जो बहुत बड़ा अंतराल है। इस बीच कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस प्रकार जो परिस्थितियॉ प्रस्तुत मामले में सामने आयी है, वे पूर्ण रूप से स्थापित न होने के कारण दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। जो परिस्थितियॉ उभर कर आयी है, वह साबित नहीं होती है। इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सुसंगत नहीं है। ऐसा कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं पाया गया है, जिससे अन्य सभी सम्भावनाओं को समाप्त करते हुए केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि को स्थापित करती हो। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं जुड़ती है। प्रत्येक परिस्थिति में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता स्थापित नहीं

होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 302,201 भारतीय दण्ड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त संजय धारा 302,201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संजय को सत्र परीक्षण सं0 1179/2024, अपराध संख्या 1004/2006 अंतर्गत धारा 302,201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

संजय जेल में निरूद्ध है। अतः उसका रिहाई परवाना जिला कारागार उन्नाव अविलम्ब भेजा जाये।

संजय द्वारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन तीन दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें और वह 50,000/— का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेगा, जो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। संजय को आदेशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांकः—19.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा—प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर सुनाया गया।

दिनांकः—19.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा—प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव
जेओ यूपी 06552